[2021] 8 एस.सी.आर. 439

देवेन्द्र पाठक सर्वोदय कॉलेज ऑफ

शिक्षा

बनाम

शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद

और ओ.आर.एस.

(रिट याचिका (सी) संख्या 518 2021)

11 अगस्त 2021

[आर। एफ. नरीमन और बी. आर. गवई, जे.जे.]

शिक्षा/शैक्षिक संस्थान:

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993: एस. 14(1) - शिक्षक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थानों की मान्यता - बी एड। और डी.एल.एड. पाठ्यक्रम - याचिकाकर्ता-कॉलेजों ने बी.एड. संचालित करने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद- एनसीटीई से मान्यता देने की मांग की। कोर्स या डी.एल.एड. पाठ्यक्रम या दोनों के लिए - B.Ed./ D.El.Ed संचालन के लिए NCTE द्वारा मान्यता प्रदान करना। शैक्षणिक सत्र 2022-2023 के लिए पाठ्यक्रम, सभी आवश्यक आवश्यकताओं पर विचार करने पर - हालाँकि, शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 के लिए मान्यता नहीं दी गई - आयोजित: शैक्षणिक सत्र 2022-2023 के लिए मान्यता देने के आदेश ने अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में अपनी संतुष्टि दर्ज की और नियम और शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के लिए मानदंडों और मानकों के संबंध में भी - इसके मद्देनजर, एनसीटीई या इसकी क्षेत्रीय समिति के लिए शैक्षणिक वर्ष 2021- 2022 से मान्यता से इनकार करने का कोई औचित्य नहीं हो सकता है - इसके अलावा, प्रवेश के लिए काउंसलिंग अभी बाकी है प्रारंभ - इस प्रकार, मां वैष्णो देवी महिला महाविद्यालय के मामले में इस न्यायालय द्वारा तय की गई कट-ऑफ तारीख इन मामलों के तथ्यों में बढ़ा दी गई है - याचिकाकर्ता शैक्षणिक सत्र 2022-2023 के बजाय शैक्षणिक सत्र 2021-2022 से मान्यता प्रदान करने के हकदार हैं - राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2014।

रिट याचिकाओं को स्वीकार करते हुए और उनका निपटान करते हुए, न्यायालय

ने कहा: 1.1 बी.एड. आयोजित करने के लिए मान्यता प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ताओं का प्रस्ताव। कोर्स या डी.एल.एड. पाठ्यक्रम या दोनों काफी समय से लंबित हैं। हालाँकि, एनसीटीई या इसकी क्षेत्रीय समितियों ने सभी आवश्यक आवश्यकताओं पर विचार करने के बाद, B.Ed./D.El.Ed संचालन के लिए मान्यता प्रदान की है। शैक्षणिक सत्र 2022-2023 के लिए पाठ्यक्रम। अन्य याचिकाओं के अवलोकन से पता चलेगा कि मान्यता प्रदान करते समय या तो समान या समान कारण दिए गए हैं। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि एनसीटीई या इसकी क्षेत्रीय समितियों द्वारा संस्थानों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों, उनके साथ संलग्न दस्तावेजों, प्रस्तुत शपथ पत्रों और विजिटिंग टीमों से प्राप्त रिपोर्टों और वीडियोग्राफी की जांच के आधार पर मान्यता प्रदान की गई है। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि समिति संतुष्ट थी कि संबद्ध निकायों से जारी प्रमाणपत्रों पर विचार करने के बाद आवेदक एनसीटीई अधिनियम, नियमों और प्रासंगिक विनियमों के प्रावधानों के तहत आवश्यकता को पूरा करते हैं। यह आदेश शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के लिए मानदंडों और मानकों जैसे कि कार्यक्रम चलाने के लिए शिक्षण सुविधाओं, ढांचागत सुविधाओं, वित्तीय संसाधनों आदि के संबंध में अपनी संतुष्टि को भी दर्ज करता है।[पैरा 30, 31, 33]

1.2 इस तरह की संतुष्टि पर पहुंचने के बाद, एनसीटीई या इसकी क्षेत्रीय समिति के लिए शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 से मान्यता से इनकार करने और शैक्षणिक सत्र 2022-2023 के लिए मान्यता पर जोर देने का कोई औचित्य नहीं हो सकता है। प्रवेश के लिए काउंसलिंग अभी शुरू नहीं हुई है। जहां तक मां वैष्णो देवी महिला महाविद्यालय के मामले में इस न्यायालय के फैसले में निर्धारित समय-सीमा का सवाल है, इस न्यायालय ने रिकॉर्ड पर रखे गए आदेशों के अनुसार स्वयं ही इसमें तय की गई समय-सीमा को संशोधित किया है। तत्काल मामले में भी यही तरीका अपनाने की जरूरत है, खासकर, जब देरी के लिए याचिकाकर्ता जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि इसके विपरीत एनसीटीई या इसकी क्षेत्रीय समितियां जिम्मेदार हैं।[पैरा 34]

1.3 मां वैष्णो देवी महिला महाविद्यालय के मामले में इस न्यायालय द्वारा तय की गई कट-ऑफ तारीख इन मामलों के तथ्यों में बढ़ा दी गई है; यह माना जाता है कि याचिकाकर्ता शैक्षणिक सत्र 2022-2023 के बजाय शैक्षणिक सत्र 2021-2022 से एनसीटीई या इसकी क्षेत्रीय समितियों द्वारा पारित संबंधित आदेशों द्वारा दी गई मान्यता के हकदार होंगे; प्रतिवादी एनसीटीई और इसकी क्षेत्रीय समितियों को निर्धारित अवधि के भीतर उस संबंध में औपचारिक आदेश/अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया जाता है; राज्य और अन्य प्राधिकरण निर्धारित अवधि के भीतर संबद्धता और/या अन्य अपेक्षित अनुमतियां देने पर विचार करेंगे; याचिकाकर्ता शैक्षणिक सत्र 2022-2023 के लिए एनसीटीई द्वारा दी गई मंजूरी के अनुसार शैक्षणिक सत्र

2021-2022 के लिए छात्रों को प्रवेश देने के हकदार होंगे; और याचिकाकर्ता कॉलेजों/संस्थानों का नाम प्रवेश के लिए परामर्श कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा।[पैरा 35]

माँ वैष्णो देवी महिला महाविद्यालय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य **(2013) 2 एससीसी 617: [2012] 13 एससीआर 810 - पर भरोसा किया गया।**

केस कानून संदर्भ

[2012] 13 एससीआर 810 पैरा 34, 35 पर निर्भर था

सिविल मूल क्षेत्राधिकार: 2021 की रिट याचिका (सी) संख्या 518।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका (सिविल) संख्या 532, 793, 778, 789, 794, 608, 602, 601, 538, 711 , 2021 का 823।

अमितेश कुमार, सुश्री बिनीसा मोहंती, सुश्री प्रीति कुमारी, मृत्युंजय कुमार सिन्हा, अनिमेष कुमार, नीरज शेखर, निशांत कुमार, सुश्री उत्कर्षा शर्मा, सुश्री श्वेता सिंह, श्रीयश उदय ललित, मुकेश कुमार सिंह, इक्षित मेसर्स के लिए सिंघल, मनीष सक्सेना, अनबरसन नाथर पॉल। मुकेश कुमार सिंह एंड कंपनी, मयंक मनीष, रविकांत, विवेक सिंह, सी. पी. रजवार, चंद्र प्रकाश, अधिवक्ता याचिकाकर्ता के लिए.

एस. वसीम ए कादरी, डॉ. मनीष सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री मनीषा टी. करिया, सुश्री सुखदा कालरा, आदर्श कुमार, सुश्री निधि नागपाल, सईद कादरी, सुश्री उदिता सिंह, गोपाल सिंह, मनीष कुमार, संदीप कुमार झा, कुणाल चटर्जी, सुश्री मैत्रेयी बनर्जी, सिद्धार्थ चौधरी, प्रतिवादियों के वकील।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

बी. आर. गवई, जे.

1. इन सभी याचिकाओं के तथ्य लगभग समान हैं और इस प्रकार, इस सामान्य निर्णय द्वारा तय किए जाते हैं।

2. हम मुख्य मामले यानी 2021 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 518 में तथ्यों का कुछ विस्तार से उल्लेख करेंगे और अन्य सभी मामलों में केवल आवश्यक तथ्यों का उल्लेख करेंगे।

2021 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 518

3. याचिकाकर्ता कॉलेज को वर्ष 2011 में बैचलर इन टीचर एजुकेशन (बी.एड.) और डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डी.एल.एड.) पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए गैर सहायता प्राप्त प्रशिक्षण कॉलेज के रूप में स्थापित किया गया था।

4. याचिकाकर्ता कॉलेज ने एक आवेदन प्रस्तुत किया प्रतिवादी संख्या 1 - राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (इसके बाद 'एनसीटीई' के रूप में संदर्भित) को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 (इसके बाद 'उक्त अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 14(1) के तहत मान्यता प्रदान करने के लिए)बी.एड.संचालन हेतु 100 छात्रों की वार्षिक प्रवेश क्षमता वाला पाठ्यक्रम।

5. दिनांक 25.2.2014 के आदेश के तहत एनसीटीई ने बी.एड. के लिए मान्यता प्रदान की। 100 छात्रों के वार्षिक प्रवेश के साथ शैक्षणिक वर्ष 2014-2015 के लिए एक वर्षीय कार्यक्रम के तहत पाठ्यक्रम।

6. प्रतिवादी संख्या 2 - मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, बिहार ने पत्र दिनांक 2.8.2014 के माध्यम से याचिकाकर्ता कॉलेज को एक वर्षीय बीएड की 100 सीटों पर प्रवेश के लिए संबद्धता प्रदान की। शैक्षणिक वर्ष 2014-2015 से एनसीटीई की मान्यता जारी रहने तक पाठ्यक्रम।

7. 28.11.2014 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2014 (इसके बाद '2014 विनियम' के रूप में संदर्भित) द्वारा, दो वर्षीय बी.एड. एक वर्षीय बीएड के स्थान पर पाठ्यक्रम शुरू किया गया। शैक्षणिक सत्र 2015-2016 से पाठ्यक्रम।

8. याचिकाकर्ता-कॉलेज ने एक हलफनामे द्वारा 2014 के नियमों के तहत आने पर सहमति व्यक्त की और बी.एड में दो बुनियादी इकाइयों (100 सीटें) की मांग की। पाठ्यक्रम, जिसके लिए अतिरिक्त सुविधाओं की आवश्यकता है। दिनांक 23.5.2015 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता कॉलेज को दो वर्षीय बी.एड. के लिए मान्यता प्रदान की गई थी। 100 सीटों की वार्षिक प्रवेश क्षमता के साथ शैक्षणिक सत्र 2015-2016 के लिए पाठ्यक्रम। याचिकाकर्ता-कॉलेज को D.El.Ed की मान्यता भी प्रदान की गई। शैक्षणिक सत्र 2016-2017 से 2017-2018 तक दो साल की अवधि के लिए 50 सीटों के वार्षिक प्रवेश के साथ दिनांक 2.5.2016 के आदेश के तहत पाठ्यक्रम।

9. 3.6.2016 को, एनओसी प्राप्त करने के बाद, याचिकाकर्ता-कॉलेज ने डी.एल.एड. के लिए अतिरिक्त दो इकाइयों (100 सीटों) की मान्यता के लिए एनसीटीई को अपना ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया। और बी.एड. प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ पाठ्यक्रम।

10. आदेश दिनांक 26.9.2017 के तहत, प्रतिवादी नंबर 3 - बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड ने याचिकाकर्ता-कॉलेज को D.El.Ed आयोजित करने के लिए संबद्धता प्रदान की। शैक्षणिक सत्र 2017-2019 से एक इकाई (50 सीटें) के साथ पाठ्यक्रम।

11. 29.2.2020 और 1.3.2020 को आयोजित एनसीटीई की 280वीं बैठक में, उक्त अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानों के तहत एक विजिटिंग टीम का गठन किया गया था ताकि बीएड और डी.एल.एड. पाठ्यक्रम में अतिरिक्त प्रवेश के लिए बुनियादी ढांचे और शिक्षण सुविधाओं का निरीक्षण किया जा सके। हालाँकि, कोविड-19 महामारी के कारण, निरीक्षण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं हो सका। इसके बाद, 8.3.2021 को याचिकाकर्ता-कॉलेज में निरीक्षण किया गया और एनसीटीई द्वारा याचिकाकर्ता कॉलेज के पक्ष में बीएड में अतिरिक्त प्रवेश के लिए एक आशय पत्र जारी किया गया। और डी.एल.एड. 10.6.20216 को याचिकाकर्ता-कॉलेज द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार पाठ्यक्रम। 3.3.2021 को आयोजित 290वीं बैठक में, एनसीटीई ने पाया कि याचिकाकर्ता-कॉलेज के पास शिक्षक पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए आवश्यक पर्याप्त सुविधा है। इसलिए याचिकाकर्ता-कॉलेज को औपचारिक मान्यता देने के उद्देश्य से मांगी गई इकाइयों की संख्या के बारे में एक हलफनामे पर अपनी इच्छा बताने के लिए कहा गया था। याचिकाकर्ता-कॉलेज ने यह कहते हुए जवाब दिया कि याचिकाकर्ता-कॉलेज के पास बी.एड. के लिए दो इकाइयों के अतिरिक्त प्रवेश के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा है। पाठ्यक्रम और D.El.Ed के लिए दो इकाइयाँ। अवधि। याचिकाकर्ता-कॉलेज को बी.एड. में दो इकाइयों के अतिरिक्त प्रवेश के लिए मान्यता प्रदान की गई थी। D.El.Ed में पाठ्यक्रम और दो इकाइयाँ। 12.4.2021 को आयोजित एनसीटीई की 291वीं बैठक में पाठ्यक्रम। हालाँकि, उक्त संकल्प द्वारा, मान्यता शैक्षणिक वर्ष 2022-2023 के लिए प्रदान की गई है, न कि शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 के लिए।

12. इस पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ता-कॉलेज ने इस न्यायालय से संपर्क किया है और उत्तरदाताओं को शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 के लिए मान्यता प्रदान करने का निर्देश देने की मांग की है।

<u>रिट याचिका (सिविल) संख्या. 2021 का 532</u>

13. वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता-कॉलेज ने वर्ष 2015 में एनसीटीई द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस के अनुसरण में आवेदन किया था, जिससे डी.एल.एड. चलाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। शैक्षणिक सत्र 2016-2017 से पाठ्यक्रम। हालांकि याचिकाकर्ता का आवेदन 2015 से लंबित था, एनसीटीई की पूर्वी क्षेत्रीय समिति (इसके बाद 'ईआरसी' के रूप में संदर्भित) ने 20.4.2021 को आयोजित अपनी 292वीं बैठक में याचिकाकर्ता-कॉलेज को शैक्षणिक सत्र 2022-2023 से मान्यता देने का निर्णय लिया। . इसलिए, याचिकाकर्ता ने शैक्षणिक वर्ष 2021-2022

से मान्यता प्रदान करने के निर्देश के लिए इसी तरह की राहत की मांग करते हुए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

रिट याचिका (सिविल) संख्या. 2021 का 793

14. वर्तमान मामले में भी, याचिकाकर्ता ने वर्ष 2015 में एनसीटीई द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस के अनुपालन में बीएड चलाने के लिए आवेदन किया था। और डी.एल.एड. पाठ्यक्रम. स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग (प्राथमिक शिक्षा सचिवालय), झारखंड राज्य ने भी D.El.Ed चलाने के लिए 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' (NOC) प्रदान कर दिया है। 26.2.2016 को पाठ्यक्रम। याचिकाकर्ता के आवेदन को ईआरसी ने दिनांक 14.4.2016 के आदेश के तहत डी.एल.एड. के आधार पर खारिज कर दिया था। पाठ्यक्रम का संबंध है. कारण बताया गया कि झारखंड सरकार के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय से एनओसी नहीं मिली है. ईआरसी ने याचिकाकर्ता के बीएड के आवेदन को भी खारिज कर दिया। आदेश दिनांक 14.4.2016 द्वारा इस आधार पर कि संस्थान ने डी.एल.एड. के लिए एनओसी जमा नहीं की है। कार्यक्रम और इस प्रकार, बी.एड. के लिए मान्यता। पाठ्यक्रम की अनुमति नहीं दी जा सकती।

15. याचिकाकर्ता और एनसीटीई के बीच मुकदमेबाजी की एक श्रृंखला थी। झारखंड उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने दिनांक 2.4.2019 के आदेश के तहत 2018 के एलपीए नंबर 148 को अनुमति दी और ईआरसी और एनसीटीई को याचिकाकर्ता के आवेदन को पुनर्जीवित करने और शैक्षणिक सत्र 2020-2022 के लिए उस पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

16. इसके बाद, एनसीटीई के ईआरसी और याचिकाकर्ता के बीच कुछ अनुपालनों के संबंध में कुछ पत्राचार हुए। अंततः, ERC ने 9.6.2021 को आयोजित अपनी 293वीं बैठक में याचिकाकर्ता को D.El.Ed आयोजित करने के लिए मान्यता देने का निर्णय लिया। और बी.एड. प्रत्येक पाठ्यक्रम में 100 सीटों (दो इकाइयों) की वार्षिक प्रवेश क्षमता के साथ शैक्षणिक सत्र 2022-2023 से पाठ्यक्रम।

17. इस पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ता ने इसी तरह की राहत की मांग करते हुए इस न्यायालय से संपर्क किया है।

रिट याचिका (सिविल) संख्या. 2021 का 778

18. याचिकाकर्ता ने D.El.Ed चलाने की अनुमति/मान्यता प्रदान करने के लिए आवेदन किया। प्रत्येक 50 छात्रों की दो इकाइयों के लिए 5.7.2016 को पाठ्यक्रम। एनसीटीई ने 14.2.2018 को याचिकाकर्ता को डी.एल.एड. के संबंध में एक यूनिट यानी 50 छात्रों को चलाने की अनुमति

दी। अवधि। याचिकाकर्ता को दूसरी यूनिट न देने के संबंध में कुछ मुकदमे थे। अंततः, 12.4.2021 को आयोजित अपनी 291वीं बैठक में, ईआरसी ने याचिकाकर्ता को D.El.Ed. चलाने के लिए प्रवेश की एक अतिरिक्त इकाई जारी करने का निर्णय लिया। शैक्षणिक सत्र 2022-2023 से पाठ्यक्रम। याचिकाकर्ता भी वैसी ही राहत चाहता है जैसी अन्य याचिकाकर्ताओं ने मांगी है।

रिट याचिका (सिविल) संख्या. 2021 का 789

19. याचिकाकर्ता ने बी.एड. आयोजित करने के लिए 20.10.2008 को आवेदन किया था। 100 छात्रों (दो इकाइयों) के प्रवेश के साथ पाठ्यक्रम। याचिकाकर्ता और एनसीटीई की उत्तर क्षेत्रीय समिति (इसके बाद इसे 'एनआरसी' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के बीच कई मुकदमे थे। 13.1.2021 को, एनसीटीई की पश्चिमी क्षेत्रीय समिति (इसके बाद 'डब्ल्यूआरसी' के रूप में संदर्भित), जिसके पास अब राजस्थान में संस्थानों से संबंधित आवेदनों पर कार्रवाई करने का अधिकार क्षेत्र है, ने याचिकाकर्ता-संस्थान में कोई कमी नहीं पाए जाने के बाद आशय पत्र जारी किया। . डब्ल्यूआरसी ने 7-9 जुलाई, 2021 को आयोजित अपनी 337वीं बैठक (आभासी) में याचिकाकर्ता-संस्था को बी.एड. संचालित करने के लिए मान्यता देने का निर्णय लिया। शैक्षणिक सत्र 2022-2023 से दो इकाइयों (100 सीटों) के प्रवेश के साथ। इस पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ताओं ने इसी तरह की राहत की मांग करते हुए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

रिट याचिका (सिविल) संख्या. 2021 का 794

20. वर्तमान मामले में भी, याचिकाकर्ता-कॉलेज ने एनसीटीई द्वारा वर्ष 2015 में जारी सार्वजनिक नोटिस के जवाब में बीएड के लिए मान्यता प्रदान करने के लिए 30.6.2015 को आवेदन किया था। शैक्षणिक सत्र 2016-2017 से पाठ्यक्रम। दिनांक 10.11.2016 के आदेश के तहत याचिकाकर्ता-कॉलेज का आवेदन डब्ल्यूआरसी द्वारा अपनी 262वीं बैठक में खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने वैधानिक अपील की, जिसे स्वीकार कर लिया गया और डब्ल्यूआरसी को मुद्दे पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया गया। कई पत्राचार और कुछ मुकदमेबाजी के बाद, WRC ने अपनी 337वीं बैठक में याचिकाकर्ता को B.Ed आयोजित करने के लिए मान्यता देने का निर्णय लिया। शैक्षणिक सत्र 2022-2023 से पाठ्यक्रम। इसलिए याचिकाकर्ता ने इसी तरह की राहत की मांग करते हुए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

रिट याचिका (सिविल) संख्या. 2021 का 608

21. याचिकाकर्ता ने वर्ष 2015 में एनसीटीई द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस के अनुसरण में बी.एड. संचालन के लिए मान्यता प्रदान करने के लिए आवेदन किया था। 100 छात्रों के वार्षिक प्रवेश के साथ शैक्षणिक सत्र 2016-2017 से पाठ्यक्रम। उक्त आवेदन दिनांक 2.6.2015 को किया

गया था। छह साल की लंबी अवधि के बाद, ईआरसी ने 20.4.2021 को आयोजित अपनी 292वीं बैठक में याचिकाकर्ता-संस्था को बी.एड. संचालित करने के लिए मान्यता देने का निर्णय लिया। शैक्षणिक सत्र 2022-2023 से 100 छात्रों (दो बुनियादी इकाइयों) के वार्षिक प्रवेश के साथ दो साल की अवधि का पाठ्यक्रम। ऐसे में, याचिकाकर्ता ने इसी तरह की राहत की मांग करते हुए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

<u>रिट याचिका (सिविल) संख्या. 2021 का 602</u>

22. वर्तमान मामले में भी, याचिकाकर्ता ने एनसीटीई द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस के जवाब में, बी.एड. संचालन के लिए मान्यता प्रदान करने के लिए वर्ष 2016 में अपना आवेदन प्रस्तुत किया। और डी.एल.एड. पाठ्यक्रम. याचिकाकर्ता-कॉलेज का आवेदन वर्ष 2018 में खारिज कर दिया गया। इससे व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने 2018 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 5888 दायर करके दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 28.5.5 द्वारा। 2018 ने ईआरसी को एनओसी की आवश्यकता को समाप्त करते हुए याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया। तदनुसार, ईआरसी ने 12.4.2021 को आयोजित अपनी 291वीं बैठक में याचिकाकर्ता को बी.एड. आयोजित करने के लिए मान्यता प्रदान की। और डी.एल.एड. शैक्षणिक सत्र 2022-2023 से दो इकाइयों (100 छात्रों) के लिए पाठ्यक्रम। इसलिए याचिकाकर्ता ने इसी तरह की राहत की मांग करते हुए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

<u>रिट याचिका (सिविल) संख्या. 2021 का 601</u>

23. वर्तमान मामले में भी याचिकाकर्ता ने एनसीटीई द्वारा वर्ष 2015 में जारी सार्वजनिक नोटिस के जवाब में बीएड संचालन के लिए मान्यता मांगी थी। दिनांक 15.6.2015 के आवेदन के माध्यम से 100 छात्रों के वार्षिक प्रवेश के साथ शैक्षणिक सत्र 2016-2017 से पाठ्यक्रम। उक्त आवेदन छह साल की अवधि से लंबित था और अंततः ईआरसी ने 20.4.2021 को आयोजित अपनी 292वीं बैठक में याचिकाकर्ता को बी.एड. आयोजित करने के लिए मान्यता प्रदान कर दी। शैक्षणिक सत्र 2022-2023 से 100 छात्रों (दो बुनियादी इकाइयों) के वार्षिक प्रवेश के साथ दो साल की अवधि का पाठ्यक्रम। इस प्रकार याचिकाकर्ता ने इसी तरह की राहत की मांग करते हुए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

<u>रिट याचिका (सिविल) संख्या. 2021 का 538</u>

24. वर्तमान मामले में भी याचिकाकर्ता ने एनसीटीई द्वारा वर्ष 2015 में जारी सार्वजनिक नोटिस के जवाब में डी.एल.एड. संचालन के लिए मान्यता मांगी थी। दिनांक 15.6.2015 के

आवेदन के माध्यम से 100 छात्रों के वार्षिक प्रवेश के साथ शैक्षणिक सत्र 2016-2017 से पाठ्यक्रम। उक्त आवेदन छह साल की अवधि से लंबित था और अंततः ईआरसी ने 20.4.2021 को आयोजित अपनी 292वीं बैठक में याचिकाकर्ता को डी.एल.एड. आयोजित करने के लिए मान्यता प्रदान कर दी। शैक्षणिक सत्र 2022-2023 से 100 छात्रों (दो बुनियादी इकाइयों) के वार्षिक प्रवेश के साथ दो साल की अवधि का पाठ्यक्रम। इस प्रकार याचिकाकर्ता ने इसी तरह की राहत की मांग करते हुए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

<u>रिट याचिका (सिविल) संख्या. 2021 का 711</u>

25. वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता ने बी.एड. संचालन के लिए मान्यता प्रदान करने के लिए आवेदन किया था। 24.12.2012 को 100 छात्रों (दो इकाइयों) के प्रवेश के साथ पाठ्यक्रम। हरियाणा सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाये जाने पर उक्त आवेदन वापस कर दिया गया। इसलिए याचिकाकर्ता ने 2018 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 2383 दायर करके दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उक्त याचिका को 14.3.2018 को अनुमति दी गई, जिससे उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ता के आवेदन पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया गया। एनआरसी ने अपनी 295वीं बैठक में याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसका जवाब याचिकाकर्ता ने 29.3.2019 को प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ता ने 2019 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 2835 दायर करके फिर से दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 6.11.2019 के आदेश द्वारा मामले को पुनर्विचार के लिए एनआरसी को भेज दिया। एनआरसी ने अपनी 335वीं (आभासी) बैठक में याचिकाकर्ता-संस्था को बी.एड. संचालित करने के लिए मान्यता देने का निर्णय लिया। शैक्षणिक सत्र 2022-2023 से 100 सीटों (दो बुनियादी इकाइयों) की क्षमता के साथ दो साल की अवधि का पाठ्यक्रम। इस प्रकार, याचिकाकर्ता ने इसी तरह की राहत की मांग करते हुए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

<u>रिट याचिका (सिविल) संख्या. 2021 का 823</u>

26. याचिकाकर्ता ने बी.एड. संचालन हेतु वर्ष 2015 में अपना आवेदन प्रस्तुत किया था। अवधि। याचिकाकर्ता को एक आशय पत्र भी जारी किया गया। एनआरसी और याचिकाकर्ता के बीच संचार का आदान-प्रदान हुआ, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। ऐसे में, याचिकाकर्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष 2021 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 1522 के रूप में एक रिट याचिका दायर की। उक्त याचिका दिनांक 5.2.2021 के आदेश द्वारा निस्तारित की गई जिसमें उत्तरदाताओं को 10 सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया गया। एनआरसी द्वारा अपनी 336वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, दिनांक 28.6.2021 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को बी.एड. आयोजित करने के लिए मान्यता प्रदान की

गई। शैक्षणिक सत्र 2022-2023 से 50 छात्रों के वार्षिक प्रवेश के साथ पाठ्यक्रम। इसलिए, याचिकाकर्ता ने अन्य याचिकाकर्ताओं की तरह ही राहत की मांग करते हुए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

27. हमने याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री अमितेश कुमार, श्री श्रीयश उदय ललित और श्री मयंक मनीष, एनसीटीई के विद्वान वकील सुश्री मनीषा टी. करिया, राजस्थान राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. मनीष सिंघवी को सुना है। और श्री कुणाल चटर्जी, पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के विद्वान वकील।

28. याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया है कि हालांकि एनसीटीई या इसकी क्षेत्रीय समितियों ने संतुष्ट होने के बाद याचिकाकर्ताओं-कॉलेजों/संस्थानों को शैक्षणिक वर्ष 2022-2023 के लिए मान्यता दे दी है, लेकिन बिना किसी कारण के शैक्षणिक वर्ष के लिए मान्यता नहीं दी गई है। 2021-2022. यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने एनसीटीई की सभी बुनियादी ढांचागत आवश्यकताओं का पूरी तरह से पालन किया है और ऐसा कोई कारण नहीं है कि शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 के लिए मान्यता क्यों नहीं दी जानी चाहिए।

29. एनसीटीई के लिए विद्वान एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड सुश्री मनीषा टी. करिया ने प्रस्तुत किया कि **मां वैष्णो देवी महिला महाविद्यालय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य** के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा को ध्यान में रखते हुए, मान्यता केवल शैक्षणिक वर्ष 2022-2023 से प्रदान की गई है, न कि शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 से। प्रतिवादी के विद्वान वकील - राज्यों का यह भी कहना है कि याचिकाएँ खारिज किए जाने योग्य हैं।

30. जैसा कि ऊपर वर्णित तथ्यों से देखा जा सकता है, याचिकाकर्ताओं का बी.एड. संचालित करने के लिए मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव। कोर्स या डी.एल.एड. पाठ्यक्रम या दोनों काफी समय से लंबित हैं। कुछ मामलों में, वे छह साल की अवधि तक लंबित रहे हैं। कुछ मामलों में मुकदमों की शृंखला चल रही है।

31. हालाँकि, सभी मामलों में जो बात समान है वह यह है कि एनसीटीई या इसकी क्षेत्रीय समितियों ने सभी आवश्यक आवश्यकताओं पर विचार करने के बाद बी.एड./डी.एल.एड. संचालन के लिए मान्यता प्रदान की है। शैक्षणिक सत्र 2022-2023 के लिए पाठ्यक्रम।

32. मुख्य मामले में एनसीटीई द्वारा पारित आदेश दिनांक 19 अप्रैल, 2021 के पैराग्राफ 2 को संदर्भित करना प्रासंगिक होगा, यानी 2021 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 518, जो इस प्रकार है:

"2. **और जबकि**, संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन, उसके साथ संलग्न दस्तावेजों, प्रस्तुत शपथ पत्र और वीटी और वीडियोग्राफी से प्राप्त रिपोर्ट और संबद्ध निकाय से प्राप्त प्रमाण पत्रों की जांच पर, समिति संतुष्ट है कि आवेदक इसके तहत आवश्यकताओं को पूरा करता है। एनसीटीई अधिनियम, नियमों और प्रासंगिक विनियमों के प्रावधानों में उक्त शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक शामिल हैं जैसे कि कार्यक्रम चलाने के लिए निर्देशात्मक सुविधाएं, ढांचागत सुविधाएं, वित्तीय संसाधन इत्यादि।

33. अन्य याचिकाओं के अवलोकन से पता चलेगा कि मान्यता प्रदान करते समय या तो समान या समान कारण दिए गए हैं। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि एनसीटीई या इसकी क्षेत्रीय समितियों द्वारा संस्थानों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों, उनके साथ संलग्न दस्तावेजों, प्रस्तुत शपथ पत्रों और विजिटिंग टीमों से प्राप्त रिपोर्टों और वीडियोग्राफी की जांच के आधार पर मान्यता प्रदान की गई है। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि समिति संतुष्ट थी कि संबद्ध निकायों से जारी प्रमाणपत्रों पर विचार करने के बाद आवेदक एनसीटीई अधिनियम, नियमों और प्रासंगिक विनियमों के प्रावधानों के तहत आवश्यकता को पूरा करते हैं। यह आदेश शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के लिए मानदंडों और मानकों जैसे कि कार्यक्रम चलाने के लिए शिक्षण सुविधाओं, ढांचागत सुविधाओं, वित्तीय संसाधनों आदि के संबंध में अपनी संतुष्टि को भी दर्ज करता है।

34. इस तरह की संतुष्टि पर पहुंचने के बाद, हमारा विचार है कि एनसीटीई या इसकी क्षेत्रीय समिति के लिए शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 से मान्यता से इनकार करने और शैक्षणिक सत्र 2022-2023 के लिए मान्यता पर जोर देने का कोई औचित्य नहीं हो सकता है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि प्रवेश के लिए काउंसलिंग अभी शुरू नहीं हुई है। जहां तक **मां वैष्णो देवी महिला महाविद्यालय** (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय के फैसले में निर्धारित समय-सीमा का सवाल है, इस न्यायालय ने रिकॉर्ड पर रखे गए आदेशों के अनुसार स्वयं ही उसमें तय की गई समय-सीमा को संशोधित किया है। हम पाते हैं कि वर्तमान मामले में भी उसी पाठ्यक्रम का पालन करने की आवश्यकता है, खासकर, जब देरी याचिकाकर्ताओं के लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसके विपरीत एनसीटीई या इसकी क्षेत्रीय समितियों के लिए जिम्मेदार है।

35. इसलिए हम निम्नलिखित शर्तों में याचिकाओं को स्वीकार करते हैं:

(i) **मां वैष्णो देवी महिला महाविद्यालय** (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कट-ऑफ तिथि इन मामलों के तथ्यों में बढ़ा दी गई है;

(ii) यह माना और घोषित किया गया है कि याचिकाकर्ता शैक्षणिक सत्र 2022-2023 के बजाय शैक्षणिक सत्र 2021-2022 से एनसीटीई या इसकी क्षेत्रीय समितियों द्वारा पारित संबंधित आदेशों द्वारा दी गई मान्यता के हकदार होंगे।

(iii) प्रतिवादी - एनसीटीई और उसकी क्षेत्रीय समितियों को आज से तीन दिनों की अवधि के भीतर उस संबंध में औपचारिक आदेश/अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया जाता है।

(iv) राज्य और अन्य प्राधिकरण आज से 15 दिनों की अवधि के भीतर संबद्धता और/या अन्य अपेक्षित अनुमतियां देने पर विचार करेंगे;

(v) याचिकाकर्ता शैक्षणिक सत्र 2022-2023 के लिए एनसीटीई द्वारा दी गई मंजूरी के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2021-2022 के लिए छात्रों को प्रवेश देने के हकदार होंगे।

(vi) याचिकाकर्ता-कॉलेजों/संस्थानों का नाम प्रवेश के लिए परामर्श कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा।

36. उपरोक्त शर्तों के अनुसार रिट याचिकाओं को स्वीकार किया जाता है और उनका निपटारा किया जाता है। परिणामस्वरूप, सभी लंबित आवेदनों का निपटारा कर दिया जाएगा।

निधि जैन रिट याचिकाएँ स्वीकार की गईं और उनका निपटारा किया गया।

आशीष तिवारी की देखरेख में शिखा पांडे द्वारा अनुवादित।